SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री सभापति : प्रो. मनोज कुमार झा।

Need for new and reformed wealth and inheritance tax law on India's richest population

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति महोदय, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, यह एक ऐसा विषय है, जिसमें पक्ष और विपक्ष में कोई विभेद नहीं हो सकता, मतभेद नहीं हो सकता। मैं यह बात संपत्ति और आय के ह्यूज और असमान वितरण के संदर्भ में कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारे कई मित्रों ने भी चर्चा की और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री साहिबा भी हमारे समक्ष हैं। सर, दिक्कत की बात यह है कि अगर हम पाँच ट्रिलियन की इकोनॉमी बन भी जाएं, लेकिन असमानता के महासागर में समृद्धि के कुछ टापू हों और पूरा का पूरा देश असमानता के उस महासागर में गोते लगा रहा हो, तो यह उचित नहीं है। सर, अभी जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पाँच प्रतिशत - मैं जानता हूँ कि आजकल आप ऑथैंटिकेट करने के लिए कहते हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूँ, लेकिन मेरी वाली कॉपी वापस करवा दीजिएगा - पाँच प्रतिशत भारतीयों के पास 60 प्रतिशत संपत्ति है। उनकी संपत्ति से कोई बैर नहीं है। इसमें दिक्कत यह है कि 50 प्रतिशत के पास सिर्फ तीन प्रतिशत है। जब कोरोना में लोगों की आय घट रही थी, तब हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। सर, यह अनायास नहीं होता है, यह सायास होता है। जिस समाज में धन और संपत्ति का इस प्रकार से असमान वितरण होता है - सर, हमारे पुरखों को इसका अंदाजा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39, क्लाज़ (सी) -- जब मैं बार-बार वित्त मंत्री जी के बजट पर बोलता हूँ, तो आग्रह करता हूँ कि इसके नजरिए से बजट बनाइए। कुछ भी हो, लेकिन हम इसकी भरपाई नहीं कर पाए, तो दिक्कत होगी। हमारे देश में सन् 1985 तक इस तरह के टैक्स की व्यवस्था थी - वेल्थ और इन्हेरिटेंस। विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं में यह व्यवस्था है। सर, क्या हम इसे वापस नहीं ला सकते? इस छोटे-से प्रोग्रेसिव टैक्स के बाद हमारे पास एक इतनी बड़ी संपदा होगी, इतना बड़ा पूल होगा कि वित्त मंत्री साहिबा को डेफिसिट नहीं देखना पड़ेगा। आप लोक-कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, आप कर पाएंगी। मैं समझता हूँ कि धनिकों के आधार पर, सुपर धनिकों के आधार पर जिस भी समाज ने अपने निर्माण की नींव रखी है, उस समाज में क्रैक्स आए हैं। सर, असमानता का पूरा मसला ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि पूरा सत्तापक्ष, विपक्ष मिलकर इस तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था करे, ताकि हम हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में सार्थक पहलकदमियाँ कर सकें। सर, अभी 28 सेकंड बाकी

हैं। मैं आखिरी में फिर से दोहराऊँगा कि आर्टिकल 39 क्लाज़ (सी) सब पढ़ें, उसके हिसाब से नीतियाँ गढ़ें, तो देश बेहतर होगा और अमृत काल में अमृत सचमुच सबके हिस्से में आएगा, न कि सिर्फ कुछ के हिस्से में सिमटकर रह जाएगा, शुक्रिया, जय हिन्द!

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

डा. फैयाज अहमद (बिहार) **:** महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: If the Professor can conclude in two minutes, there is no harm. Why take three minutes? Now, Shri Brijlal.

Rising road accidents and deaths caused due to over speeding and rash driving

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश) **:** सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आईपीसी की धारा 304ए की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब कोई एक्सिडेंट होता है और उसमें किसी की मृत्यु होती है, तो उस केस में यह धारा लिखी जाती है।

महोदय, 2021 का जो आँकड़ा है, उसमें पूरे देश में 4 लाख एक्सिडेंट्स हुए। उन एक्सिडेंट्स में 1,55,000 लोग मारे गए, जिनमें 68 परसेंट संख्या 18 से 45 वर्ष के लोगों की है, जो कि लाइफ की प्राइम एज होती है और वह देश की प्रोडक्टिविटी में काम आती है। उन एक्सिडेंट्स में जो घायल हुए हैं, उनकी संख्या 3.7 लाख है। इस देश में 2021 में जो हत्याएँ हुई हैं, उनमें 30,000 लोग मारे गए हैं। इस प्रकार, एक्सिडेंट्स में जितने लोग मारे गए हैं, उनकी संख्या मर्डर्स में मारे गए लोगों की संख्या की 5.17 गुनी है, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। एक्सिडेंट्स में जो मुकदमे कायम होते हैं, उनमें 2 साल की सज़ा है और वे थाने से ही बेलेबल हैं। चाहे कोई एक्सिडेंट करके फुटपाथ पर सोते हुए मज़दूरों को दबा दे, अपनी गाड़ी किसी की झोंपड़ी में घुसा दे, तब भी सज़ा मात्र 2 साल की ही है। जो एक्सिडेंट्स होते हैं, उनमें से 85.4 परसेंट एक्सिडेंट्स ओवरस्पीडिंग से होते हैं।

महोदय, मेरा यह कहना है कि यह अंग्रेज़ों के जमाने का कानून था, गाड़ी उन्हीं के पास होती थी, जिनको वे ही चलाते थे और आज भी जो बड़ा वर्ग है, उसी के पास गाड़ी है। वह थाने से ही बेलेबल है और वह एक दिन भी जेल नहीं जाएगा। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि धारा 304ए में अमेंडमेंट करके उसमें एक धारा 304एए जोड़ी जाए। अगर एक्सिडेंट कोई शराब के नशे में करता है, ड्रग्स के नशे में करता है, जॉय राइडिंग में करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए करता है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, इसलिए उसमें सज़ा का प्रावधान भी ज्यादा होना चाहिए तथा उसमें फाइन भी ज्यादा होना चाहिए, जो कि मृतक के परिवार को दिया जा सके।

महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि धारा 304ए में कम से कम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना ज्यादा होना चाहिए और वह जुर्माना मृतक के परिवार को दिया जाना चाहिए। मेरा यही कहना है, जय हिन्द!